न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–01/2022

1. संदीप कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति कुम्हार, निवासी 1 जे.डब्ल्यू. जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति कुम्हार, निवासी 1. जे. डब्ल्यू. जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।
3. सुमन पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री संदीप जाति कुम्हार निवासी निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री रेंवतराम जाति कुम्हार निवासी 1 जे.डब्ल्यू. जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।
2. पंजाब नेशनल बैंक शााख पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक ।
3. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

–अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री चैन सिंह शेखावत्	— प्रार्थीगण
2. श्री रामस्वरूप तावणिंया	— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	— अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 14/02/2025

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री चैन सिंह शेखावत् द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण ने उक्त शीर्षक का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाब होने की पूरी पूरी आशा है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के पिता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक नंबर 1 जे.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 50/53 के पत्थर नंबर 96/360 (25) किला नंबर 2 से 4, 7 से 9, 12, 13, 14/2/0.202, 18, 19, 22/1/0 127, 23/1/0.164 कुल 3.023 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि वादपत्र की धारा 2 में वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता से विरास्तन प्राप्त हुई है। इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण उसमें प्रार्थीगण का जन्मतः हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 अर्सा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

क– प्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण– चक नंबर 1 जे.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 50/53 के पत्थर नंबर 96/360 (25) किला नंबर 7 से 9 कुल 0.759 हैक्टेयर अनकमाण्ड।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ख– प्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण –चक नंबर 1 जे.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 50/53 के पत्थर नंबर 96/360 (25) किला नंबर 12, 13, 14/0.202, 19/0.051 कुल 0.759 हैक्टेयर अनकमाण्ड ।

ग–प्रार्थी संख्या 3 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण –चक नंबर 1 जे.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 50 / 53 के पत्थर नंबर 96/360 (25) किला नंबर 18, 19/0.202, 22/1/0.127, 23/1/0.164 कुल 0.746 हैक्टेयर अनकमाण्ड।

घ– अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण –चक नंबर 1 जे.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 50/53 के पत्थर नंबर 96/360 (25) किला नंबर 2, 3, 4 कुल 0.759 हैक्टेयर अनकमाण्ड।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 वादपत्र की धारा 3 में वर्णित घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि काश्त करते चले आ रहे है लेकिन यह भूमि अभी तक अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों, हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर राज्य सरकार द्वारा देय लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे है। इस कारण प्रार्थीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है कि प्रार्थीगण वादपत्र की चरण संख्या 3 (क). (ख) व (ग) में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा मुताबिक घोषणा खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपनी बूरी आदतो को पूरा करने के लिए रहन, बैय व अन्य तरीके से अन्तरित करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस अनुचित व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपरिमेय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण के विरास्तन हक व हकूक पर कुठाराघात होगा तथा उन्हें दीगर मुकदमाबाजी में उलझना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इन हालात परिस्थितियों में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादपत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने से तथा राजस्व रिकार्ड की मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से निषिद्व रहे।

यह कि प्रार्थीगण ने गत सप्ताह अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह वादपत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा की घोषणा करवा देवें व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाने में सहमति दे देवें व इस भूमि को विक्रय नहीं करे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इस कारण प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्थानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो 1/ रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वह प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित अपने नाम दर्ज कृषि भूमि चक नंबर 1 जे.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 50/53 के पत्थर नंबर 96/360 (25) किला नंबर 2 से 4, 7 से 9, 12, 13, 14/2/0.202, 18, 19, 22/1/0.127, 23/1/0.164 कुल 3.023 हैक्टेयर को

सहायक कलक्टर एवं अधिकारी पीलीबंगा

किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने से तथा राजस्व रिकार्ड की मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री रामस्वरूप तावणिंया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कियाकि यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है सिद्धभार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 भूमि होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी सं.1 को प्राप्त भूमि अपने पिता से प्राप्त नही हुई है। उक्त भूमि अपनी बहनो से प्राप्त हुई है स्वः अर्जित भूमि है। पिता से 1.18 बीघा भूमि प्राप्त हुई है। पूरी भूमि पर प्रार्थी अपना हक दायर नही कर सकता। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का कोई घरेलू बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थना पत्र को रंगत देने के आश्य से गलत कथन अकिंत किये गये है। प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य पूर्णतया अस्वीकार है। इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी सं.1 को 9.10 बीघा भूमि अपनी बहनो से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि की पूर्णतया स्वामी थी। इसलिये 9.10 बीघा भूमि स्वःअर्जित सम्पति से प्रार्थी किसी प्रकार का हक व हिस्सा लेने का कानूनी अधिकारी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। अप्रार्थी का प्रशनगत भूमि स्वंय का कब्जा है। इसलिये प्रार्थी किसी प्रकार का अप्रार्थी सं.1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी से नही मिले सिर्फ प्रार्थना पत्र हासिल करने पर गलत कथन अकिंत किये है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कानूनी है।

अनुतोष पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी सं.1 को 9.10 बीघा भूमि अपनी बहनो से प्राप्त हुई है जो स्वःअर्जित भूमि है। इसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा पाने का हकदार नही है। इसलिये प्रार्थी घोषणा करवाने का अधिकारी नही है।

अनुतोष की मद सं. ख अस्वीकार है। अनुतोष की मद सं. ग अस्वीकार है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि पैत्रक कृषि भूमि है दादा के नाम जमाबंदी दर्ज है प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवदेन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि बहनों से प्राप्त भूमि का अन्तरण कर सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का उभय पक्ष का बहस सुनी गई। वाद ग्रस्त रकबा पैत्रक कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है दिनांक 04.01.2022 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

विवेचन स्वरूप दिनांक 04.01.2022 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested